203

1

न्यायालय श्रीमान रेवेन्यू बोर्ड महोदय ग्वालियर म०प्र०

==

निगरानी प्र०क्र०- निग-3014-I-16 सन-2016

पिरवा तनय कुमना अहिरवार

निवासी सिलपतपुरा तह० चन्दला जिला छतरपुर म०प्र० .. आवेदक

बनाम

शासन मध्य प्रदेश .. .. अनावेदक

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 के तहत ।

==

श्री ... चतुर्वेदी ... द्वारा आज दि. 03.9.16 को प्रस्तुत

3-9-16

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टरमहोदय छतरपुर द्वारा प्र०क्र 01/अ-19(1)/2015-16

==

आदेश दिनांक- 01.08.16

==

मान्यवर,

प्रार्थी सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है :"-

1- यह कि आवेदक द्वारा श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर के समक्ष भूमि ख०न०- 224/2, रकवा 1.311 हे० पर दिनांक 2 अक्टूबर 1984 के पूर्व से काबिज रह कर कृषि करने तथा वर्तमान तक निरंतर कब्जा चले आने के आधार पर उक्त भूमि पर म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 के परिशिष्ट म०प्र० कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया , उक्त अधिनियम के अन्तर्गत खसरा न०- 224/2 पर भूमि स्वामी घोषित किया जावे ।

2- यह कि भूमि ख०न०- 224/2 रकवा 1.311 हे० स्थित मौजा सिलपतपुरा तहसील चन्दला जिला छतरपुर म०प्र० भूमि पर

R. Chaturvedi 03/9/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक-निगरानी- 3014- एक/2016 जिला-छतरपुर

पिरवा विरूद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक ब्राहम्ण की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 01/अ-19/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 01-08-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-09-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना	

11.1.19

होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11.1.19
सदस्य